Issue of licences to M/s. Petrocarbons, M/s. India Carbons etc. for setting up industrial units

1486 SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that industrial licences were issued to several companies viz. M/s. Petrocarbons, Haldia, M/s. Goa Carbons, Goa, M/s. India Carbons, Budge Budge (West Bengal) for setting up industrial units during the last three years;

(b) if so, what were the products for which licences were issued alongwith respective installed capacity and commitments for exports;

(c) what have been the sources of raw materials showing the components of imported and indigenous raw materials separately,

(d) whether these units have been fulfilling their export commitments; and

(e) if not, the details of their shortfalls and the action Government propose to take against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA) (a) to (c) No Industrial Licence has been issued to M/s. Petrocarbons, Haldia, M/s Goa, Carbons, Goa and M/s India Carbons, Budge Budge (West Bengal) for setting up industrial units during the last three years. However, these companies are registered with the Directorate General of Technical Development (DGTD) for manufacture of various items, the details of which are furnished in the Appendix [*See* Appendix CLVI, Annexure No. 35]. There is no export obligation in the registrations issued to these companies.

(d) and (e) Do not arise.

राजधानी में अश्लील फिल्मों का प्रदर्शन

1487. **श्रीमती सूर्यकांता पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सिनेमा घरों में प्रात कालीन शो में अश्लील फिल्मों (हिन्दी और अंग्रेजी) की बाढ सी आ गयी है ;

(ख) यदि हा, तो सरकार की उस नीति का ब्यौरा क्या है जिसके अधीन ऐसी फिल्मो के प्रदर्शन की अनुमति दी जा रही है और ऐसी अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी अश्लील फिल्मो के प्रदर्शन के खिलाफ बहुत से सगठनो ने आवाज उठायी है ; और

(घ) यदि हा, तो उनके अनुरोधो पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत सभी फिल्मो का प्रमाणीकरण, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा, चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है । इन मार्गदर्शी सिद्धातो के अनुसार प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जाच करते समय, बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करेगा कि अभद्रता, अश्लीलता और विकृति से मानवीय भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे । इसीलिए सिनेमाघरों मे केवल प्रमाणित फिल्मे ही दिखायी जा सकती हैं । तथापि, ऐसी रिपोर्ट मिली है कि फिल्मों को उस रूप में नहीं दिखाया जाता जिस रूप में उन्हें प्रमाणित किया जाता है । आम भाषा में, इसे "फिल्मो में अंशों को जोडना" कहा जाता है । कई व्यक्ति और संगठन ऐसे मामलों के बारे